उद्यमियों को बिना गिरवी दो करोड़ के बैंक ऋण के लिए गारंटी देगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

नई एमएसएमई नीति का शासनादेश जारी, वर्ष 2027 तक रहेगी प्रभावी

एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को ब्याज पर 60 फीसदी तक सब्सिडी

लखनऊ। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को दो करोड़ रुपये तक के कोलेटरल फ्री ऋण (यानी बिना गिरवी के ऋण) पर बैंकों की ओर से लिए जाने वाली वन टाइम गारंटी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। एमएसएमई विभाग ने बृहस्पतिवार को एमएसएमई नीति-2022 को लागू करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया। यह नीति सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी।

एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि नए सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रुपये) प्रति इकाई पांच वर्षों के लिए दिया जाएगा। वहीं उद्यमियों को पूंजीगत निवेश पर 10 से 25 फीसदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण के ब्याज पर 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। सूक्ष्म इकाइयों के पात्र निवेश के लिए आवेदन अवधि दो वर्ष होगी। इस तरह लघु उद्योग के लिए तीन और मध्यम उद्योग के लिए चार वर्ष होगी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग पर खर्च के 20 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इन पर लागू नहीं होगी नीति

तंबाकू उत्पादन, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखों का विनिर्माण, प्लास्टिक कैरीबैग (40 माइक्रॉन से कम), राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में वर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग और समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी सूची में श्रेणीकृत उत्पादों के निवेश प्रस्तावों पर यह नीति लागू नहीं होगी।

निवेश पर बतौर सब्सिडी सहायता देगी सरकार

बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्रों में क्रमशः 25, 20 और 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में क्रमशः 20, 15 और 10 प्रतिशत होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी। निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपये प्रति इकाई होगी। पांच करोड़ रुपये और इससे अधिक की मशीनरी एवं संयंत्र वाली सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की खरीद पर पांच वर्ष के लिए मंडी शुल्क से छूट की व्यवस्था मंडी अधिनियम के अनुसार प्रदान की जाएगी। विभाग के औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों और शेडों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।

निवेश आमंत्रित करने को उद्यमियों से मिलेंगे विधायक समूह : महाना

कहा, विधानसभा संचालन नियमावली का होगा सरलीकरण

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा संचालन नियमावली का सरलीकरण किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का बनाने के लिए विधायक भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। विधायक समूह में देश भर के उद्योगपतियों के पास जाएंगे और उन्हें यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। महाना बृहस्पतिवार को प्रेसवार्ता में अपने छह महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले टिप्स पर काम करते हुए बतौर विस अध्यक्ष विधानसभा के प्रति धारणा को बदला है। विधानसभा में पहली बार डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, महिला और वरिष्ठ विधायकों के ग्रुप बनाकर उनसे संवाद किया गया। भविष्य में वकीलों, शिक्षकों समेत अन्य वर्ग के विधायकों के समूह बनाकर उनसे भी अलग-अलग संवाद किया जाएगा।

महाना ने बताया कि यूपी विधानसभा में सबसे पहले ई विधान लागू किया है। यहां के नवाचार को देखने के लिए दूसरे राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और अधिकारी लखनऊ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर 1922 को विधानसभा भवन की नींव रखी गई थी। इसके सौ वर्ष पूर्ण होने पर भी कार्यक्रम किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

ई विधान पर काम करना सभी विधायकों के लिए अनिवार्य

महाना ने कहा कि सभी विधायकों के लिए ई विधान पर काम करना अनिवार्य है। प्रश्नकाल में तारांकित उत्तर का जवाब मंत्री नहीं देंगे, वह ई विधान से ही देखना होगा। मंत्री पूरक प्रश्न का जवाब देंगे। आगामी दिनों में विधानसभा की पूरी कार्यवाही को पेपरलेस भी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र से लेकर मानसून सत्र एक बार भी सदन स्थगित नहीं हुआ है। दोनों सत्रों के संचालन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का सहयोग मिला। महाना ने कहा कि अब हां और ना पक्ष लॉबी में विधायकों को सोने की इजाजत नहीं होगी। दोनों लॉबी में लगे पलंग हटा दिए गए हैं। पर वहां विधायकों के लिए चाय और कॉफी की मशीनें लगाई गई हैं।

अर्जेंटीना ने की निवेश की पेशकश

लखनऊ। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो जेवियर गोब्बी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश में व्यापार और कृषि क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। ब्यूरो

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GOPESHWAR
Affiliated to Uttarakhand Technical University, Dehradun (Government of Uttarakhand)
Add: Village - Kothiyalsain Gopeshwar Chamoli – 246424, Distt. – Chamoli (Uttarakhand)
Website: www.itgopeshwar.ac.in
Contact No: 9412957015, 8171752009, 9557350876

Advt. No. DO/22/09/REC01 Date: 28/09/2022

RECRUITMENT FOR THE POST OF DIRECTOR

Applications are invited for the post of Director in the pay Level-14, Entry pay Rs. 144200/- per month plus allowances as admissible to State Goverment employees. The appointment will be for a period of minimum 3 years on contractual/deputation basis. Essential qualifications and experience will be as prescribed by AICTE. The duly filled application alongwith relevant documents may be send by Registered/Speed post to "The Registrar, Institute of Technology Gopeshwar, Kothiyal Sain Chamoli – 246424, Distt. – Chamoli (Uttarakhand)" latest by 28-10-2022, 5:00PM. Incomplete applications and applications received after the last date will be summarily rejected. The details are available on the Institute website www.itgopeshwar.ac.in.

REGISTRAR